दिनांक 19 जून, 2019 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

---

1. **उपस्थिति:–संलग्न।**

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्यस्तरीय बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति के कारण की पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/स्थापना

2. अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित 8वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराने का पूर्व से स्थायी निदेश है। इसके बावजूद बहुत सारे जिलों से प्रतिवेदन विलंब से लभ्य कराया गया है। समय का अक्षरशः पालन करने का निदेश दिया गया। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से ससयम अनुपालन प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य करावें।

3. प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं गुरूवार को सांख्यिकी से संबंधित सभी कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने लिए निदेश दिया गया।

अनुपालन:– निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

4. सूचना के अधिकार से संबंधित वर्ष 2018–19 का वार्षिक प्रतिवेदन पटना, मगध, सारण, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा एवं पूर्णियाँ प्रमंडल तथा पटना, नालंदा, भोजपुर, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सारण, समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, बेगुसराय, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार जिला से अप्राप्त है। तत्संबंधी सूचना शीघ्रताशीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। प्रतिवेदन निदेशालय को जब तक लभ्य नहीं होती है तबतक संबंधित पदाधिकारी का माह–जून 2019 का वेतन स्थगित रहेगा।

अनुपालन:– संबंधित प्रमण्डल/संबंधित जिला सां०पदा०

5. अगामी छः माह में सेवानिवृत हो रहे पदाधिकारियों/कर्मियों की समीक्षा कर नियमानुसार सेवान्त लाभ के ससमय भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा० /स्थापना प्रशाखा 1 एवं 2

6. निदेशालय द्वारा विभिन्न संवर्गो के कर्मियों का ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. कुछ दिन पूर्व दिया गया है। सेवानिवृत कर्मी जिन्हें ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ नहीं मिला है उन सभी का विशेष गोपनीय चारित्री यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सेवा सत्यापन के मामलें में भी अद्यतन सेवा सत्यापन करने हेतु निदेश दिये गये।

अनुपालन:–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

7. **बजट :–**

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 का मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 8वीं तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध कराने संबंधी निदेश के बावजूद जिला सांख्यिकी पदाधिकारी नालन्दा से माह अप्रील एवं मई का प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश है कि लंबित प्रतिवेदन तुरन्त प्रेषित करते हुए इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन– जिला सां०पदा०, नालन्दा

(ii) निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में CFMS प्रणाली लागू होने के कारण प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को वेतनादि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं नियमित रूप से भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करेंगे। यात्रा भत्ता मद में क्षेत्रीय कार्यालयों को राशि का आवंटन उनके द्वारा यात्रा भत्ता विपत्र की छायाप्रति के साथ प्रेषित अधियाचना के पश्चात् किया जायेगा।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

1.7.19

(iii) गत बैठकों में दिये गये स्पष्ट निदेश के बावजूद भी अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति बहुत जिला से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह का प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 8वीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय के लेखा शाखा को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही कार्यालय के बैंक खाते में जमा/अवशेष राशि का मदवार विवरणी भी अंकित की जाय एवं निकासी कर रखी गई राशि अभी तक क्यों नहीं वितरित/व्यय किया गया इसका ब्योरा भी उपलब्ध करावें।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(iv) प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर जिलों के रोकड़पंजी एवं बैंक खातें में उपलब्ध राशि में अन्तर पाये जाने पर क्षोभ प्रकट किया गया। अन्तर राशि की जॉच कर Reconciliation विवरणी में इसका स्पष्ट उल्लेख करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(v) वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह अप्रील 2018 से मार्च 2019 तक के लेखा के सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्ति की समीक्षा की गई। निदेशालय के पत्रांक–1013 दिनांक–23.05.2019 द्वारा लेखा सत्यापन की प्रति दिनांक–29.05.2019 की मासिक बैठक में हाथो–हाथ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। इसके बावजूद प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०) मगध, भागलपुर, पूर्णियॉ, सहरसा एवं सारण तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी नालन्दा, कैमूर (भभुआ), शेखपुरा, जमुई, पूर्णियॉ, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर एवं प० चम्पारण के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किये जाने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि तीन दिनों के अन्दर हर हाल में अपने स्थापना के लेखा का सत्यापन कराकर सत्यापन प्रतिवेदन की प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 का लेखा सत्यापन निर्धारित समय के अन्तर्गत नहीं कराया जायेगा उनपर बिहार वित्त नियमावली की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अनुपालन– संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

(vi) वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशि के विरूद्ध निकासी/व्यय के पश्चात् बड़ी राशि वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रत्यार्पित किये जाने के कारण निदेशालय के पत्रांक–855 दिनांक–29.04.2019 द्वारा कई आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी जो अधिकांश जिलों से अप्राप्त है। सभी संबंधितों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(vii) सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जब तक CFMS प्रणाली सुदृढ़ नहीं हो जाता है तब तक आवंटन एवं व्यय पंजी, विपत्र पंजी आदि का नियमित संधारण करेंगे एवं मैनुअली लेखा की जाँच तथा व्यय–विवरणी प्रेषित करतें रहेंगे। साथ ही मैनुअली एवं CFMS के आंकड़ों में कोई विसंगति हो तो इसकी सूचना CFMS Help Desk को भेजकर सही करवा लेंगे।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(viii) पूर्व में समर्पित डी०सी० बिल से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्ति का जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पटना, बक्सर, किशनगंज एवं मधेपुरा द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी मामले को गम्भीरता से लेते हुए निदेश दिया गया कि इस माह के अन्त तक इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

अनुपालन– संबंधित जिला सां०पदा०

(iv) भदई मकई 2.0 – अररिया,
भदई धान 2.0 – पूर्वी चम्पारण एवं सहरसा,
भदई ईख 2.0 – सारण, पू० चम्पारण, प० चम्पारण का एक ग्राम, जमुई, बांका एवं मधेपुरा,
रब्बी गेहूँ 2.0 – नालंदा, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पू० चम्पारण, प० चम्पारण, दरभंगा, बेगुसराय, लखीसराय, भागलपुर, बांका, सहरसा, सपौल, मधेपुरा एवं पूर्णियाँ,
रब्बी चना 2.0 – नालंदा, लखीसराय, भागलपुर एवं बांका
राई–सरसों 2.0 – मुजफ्फरपुर, बांका, एवं समस्तीपुर
अरहर 2.0 – नालंदा, सारण, पू० चम्पारण, दरभंगा, जमुई एवं बांका से अप्राप्त।

वांछित प्रतिवेदन 30 जून 19 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(v) **फसल कटनीः–** फसल कटनी प्रयोग से संबंधित सभी लंबित सम्पादित अनुसूचियों तथा सॉफ्ट कॉपी (Excel Sheet में) यथा रब्बी गेहूँ, रब्बी मकई, चना, मसूर, अरहर, राई–सरसों, ईख, जौ एवं खेसारी 28 जून 19 तक अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(vi) **फल सब्जी** :– फल–सब्जी कटनी प्रयोग से संबंधित सभी लंबित सम्पादित अनुसूचियाँ यथा– अगहनी – आलू,बैगन, टमाटर, गोभी, अमरूद, मिरचाई
रब्बी – आलु, प्याज, बैगन एवं टमाटर 30 जून 19 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सम्बधित जिला सां०पदा०

13. <u>औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रतिवेदन</u> :–

राज्य श्रृंखला के अन्तर्गत चयनित तीन केन्द्र, पटना, डेहरी ऑन सोन एवं मुजफ्फरपुर के संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश है कि औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह निदेशालय के ई–मेल पर भेजते हुए प्रेषित प्रतिवेदन का हॉर्ड कॉपी निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः संबंधित जिला सां०पदा०

14. <u>कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन</u> :–

कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन निदेशालय के ई–मेल पर भेजते हुए प्रेषित प्रतिवेदन की हॉर्ड कॉपी निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

15. <u>नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन</u> :–

नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन भोजपुर, नालंदा, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, सीतामढ़ी, बेगूसराय, शिवहर, भागलपुर, मधेपुरा, रोहतास, गया, दरभंगा एवं अररिया से अप्राप्त तथा किशनगंज, गोपालगंज एवं प० चम्पारण से अपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त है।

नमक मूल्य प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः सभी जिला सां०पदा०

16. **बिजनेस रजिस्टर से संबंधित प्रतिवेदन** :–

निबंधित बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिस्ट फ्रेम के आधार पर विहित प्रपत्र में क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर बिजनेस रजिस्टर तैयार करने में होने वाले व्यय का आकलन कर कार्य योजना नालंदा, गया, मुंगेर, खगड़िया, प०चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, समस्तीपुर, बांका, सहरसा, किशनगंज से अप्राप्त है। संबंधित जिलों को कार्य योजना 30 जून 19 तक निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सां०पदा०/राज्य आय प्रशाखा, मुख्यालय।

17. **जीवनांकः**

(i) **जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधित मासिक प्रतिवेदनः**– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः सभी जिला सां०पदा०

(ii) **प्रतिवेदन प्रेषण का स्तरः**– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(iii) **जन्म रजिस्ट्रीकरण उपलब्धिः**– वर्ष 2019 में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व माह मई 2019 तक जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 31.96 प्रतिशत प्राप्त किया गया, जबकि माह मई 2019 तक 41.5 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया जाना था। शेखपुरा (40.03), सीतामढ़ी (40.01), पूर्णिया (39.06) एवं किशनगंज (39.02) प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शेष जिलों को रजिस्ट्रीकरण कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि माह जून 2019 तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 50 प्रतिशत प्राप्त करने हेतु समुचित प्रयास करेगें।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(iv) निदेशालय द्वारा लभ्य कराये गये रोस्टर के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में **"विशेष निरीक्षण अभियान"** संचालित करने हेतु निदेशित किया गया ताकि किसी भी स्तर से जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में अन्तर की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

अनुपालनः–सभी जिला सां०पदा०

(v) MCCD **त्रैमासिक प्रतिवेदनः**– वर्ष 2019 का प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन पटना, प0 चम्पारण, दरभंगा, लखीसराय, बेगूसराय, एवं मधेपुरा से अप्राप्त है। गया एवं भागलपुर से आंशिक रूप से अप्राप्त है। संबंधित जिलों को एक सप्ताह के अन्दर वांछित प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(vi) MCCD **प्रशिक्षण उपयोगिता प्रमाण–पत्रः**– MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वर्ष 2014–15 का सहरसा से लम्बित है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा को एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– जिला जिला सां०पदा०

(vii) **मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम** :– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के साथ पूर्व माह में किये गये भ्रमण का निरीक्षण प्रतिवेदन भी लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सां०पदा०/सभी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी

8. <u>वर्षापातः–</u>

(i) वर्षापात के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(ii) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने जिला में सभी अधिष्ठापित वर्षामापक यंत्रों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राथमिकता के आधार पर वेब–पोर्टल पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा

(iii) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नये वर्षामापक यंत्र के अधिष्ठापन हेतु राशि की आवश्यकता संबंधी मांग पत्र अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(iv) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला के सभी प्रखण्ड में स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) तथा जिला के सभी पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) के अधिष्ठापन हेतु मानक के अनुरूप स्थलों का भौतिक सत्यापन करते हुए स्थलों का फोटों सहित ब्योरा निदेशालय को लभ्य कराया जाय।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

9. <u>रान्यासः–</u>

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77वें सत्र के प्रथम एवं द्वितीय उपसत्र में माह मई 2019 तक के कार्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह–अप्रैल, 2019 तक संपादित सर्वेक्षण की भरी हुई अनुसूचियाँ निम्न जिलों से अप्राप्तः–

क्रमांक	निरीक्षणालय का नाम	लंबित प्रतिदर्श	क्रमांक	निरीक्षणालय का नाम	लंबित प्रतिदर्श
1	कटिहार	02	2	गया	02
3	भागलपुर	02	4	नालंदा	13
5	बेगुसराय	02			

सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने निरीक्षणालय में लंबित अनुसूचियाँ उक्त विवरणी के अनुसार तीन दिनों के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध करावें।

अनुपालनः– संबंधित सभी जिला सां०पदा०/अन्वेषक

(i) जिला सांख्यिकी कार्यालय, नालंदा से माह–मई 2019 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्वेषक का माह–जून 2019 का **भ्रमण** कार्यक्रम अप्राप्त है, तथा सर्वेक्षित प्रतिदर्शो की भरी हुई अनुसूचियॉ भी बार–बार स्मारित करने के बावजूद निदेशालय को लभ्य नहीं करायी गई है। इस संबंध में स्पष्टीकरण/कार्रवाई के लिए निदेश दिया गया।

अनुपालनः–निदेशालय।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निर्धारित संख्या में निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय

10. <u>लघु सिंचाई गणनाः–</u>

(i) वित्तीय वर्ष 2018–19 में पंचम लघु सिंचाई गणना, संदर्भ वर्ष 2013–14 एवं छठी लघु सिचाई गणना, संदर्भ वर्ष 2017–18 के लिए निकासी की गयी राशि को व्यय के उपरांत अवशेष राशि बैंक खातें में नहीं रखा जाना है। सभी लंबित जिलों को तत्संबंधी प्रमाण पत्र तथा CTMIS की सत्यापित प्रति 20 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

(ii) छठी लघु सिचांई गणना, संदर्भ वर्ष 2017–18 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक निदेशालय में अचूक रूप से उपलब्ध कराने एवं लंबित जिलों को एक सप्ताह के अन्दर उक्त प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

11. <u>साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी</u> :–

(i) सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का **लेखा विवरणी (आय एवं व्यय)** विहित प्रपत्र में सभी जिलों से अप्राप्त है। इस संदर्भ में निदेशालय के अनेकों स्मार–पत्र एवं राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में आपके आश्वासन के बावजूद प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि शीघ्रताशीघ्र प्राथमिकता निर्धारित करते हुए वांछित प्रतिवेदन निदेशालय का लभ्य करायी जाय।

अनुपालनः– सभी उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(ii) क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवास सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदनों एवं प्रपत्रों जानकारी दी गयी। आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 का पटना, नालंदा, पूर्णियाँ, मुंगेर, सारण एवं दरभंगा से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी लंबित वर्षो का त्रैमासिक प्रतिवेदन ऑन–लाइन भारत सरकार को भेजते हुए कृत कार्रवाई का अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर अचूक रूप से निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।1

अनुपालनः संबंधित जिला सां०पदा०

12. <u>कृषि</u>:–

(i) फसल सांख्यिकी सुधार योजनाः– अगहनी 1.0 एवं 1.1 मधेपुरा, रब्बी 1.0 एवं 1.1 पटना, भभुआ, रोहतास, गया, जहानाबाद, सिवान, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, जमूई एवं अररिया को छोड़कर शेष जिलों से अप्राप्त है। संबंधित जिलों को लंबित प्रतिवेदन 30 जून 19 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(ii) गरमा द्रुत जिंसवारः– पटना, भागलपुर, सहरसा, एवं मधेपुरा से अप्राप्त है। लंबित प्रतिवेदन 30 जून 19 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(iii) (क) रब्बी सामान्य जिंसवारः– पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, जमुई, खगड़ियॉ, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा, गोपालगंज एवं दरभंगा जिलों से अप्राप्त है। लंबित प्रतिवेदन 30 जून 19 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(ख) **भदई** प्रक्षेत्र मूल्यः– नालंदा एवं पूर्णियॉ से अप्राप्त है। लंबित प्रतिवेदन 30 जून 19 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(ग) **रब्बी** प्रक्षेत्र मूल्यः– नालंदा, जमुई, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सहरसा एवं कटिहार से अप्राप्त है। लंबित प्रतिवेदन 30 जून 19 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(viii) **जिला अन्तर्गत जन्म और मृत्यु** रजिस्ट्रीकरण कार्य करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों की सूचना 11 जिलों यथा भागलपुर, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, भोजपुर, बक्सर, पूर्णियाँ, गया, मधेपुरा, वैशाली एवं मधुबनी से प्राप्त हुआ है, जो विहित प्रपत्र के अनुरूप नहीं है। सभी जिलों को विहित प्रपत्र के अनुरूप प्रतिवेदन **30 तारीख तक** लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा० (भागलपुर को छोड़कर)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

निदेशक 01/7

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01/2019/ 830 /पटना, दिनांकः– 2/7/19

प्रतिलिपिः–
1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)–1 एवं 2/सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

निदेशक 01/07

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01/2019/830/पटना, दिनांकः– 2/7/19

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1.7.19

निदेशक 01/7